रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
No. 45] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2005

सं. फा. 9-8/2005/एनसीटीई (स्था.).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32(2) के साथ पठित धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 2003 को और आगे संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, यथा :—

1. **लघुशीर्ष और प्रवर्तन.**—(i) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अंशदायी भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **संशोधन की सीमा.**—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 2003 के संलग्नक II के पैरा 2 के स्थान पर निम्न रखा जाएगा :

"ऐसा अग्रिम जिसकी मंजूरी के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारण प्रस्तुत किए जाने जरूरी हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मुख्यालय में सेवारत कार्मिकों, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समितियों के कार्यालयों में तैनात अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी स्तर के अधिकारियों के मामले में सदस्य सचिव द्वारा तथा क्षेत्रीय समितियों के कार्यालयों में अन्य अधिकारियों/कार्मिकों के मामले में संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा मंजूर किया जाएगा।"

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2004/असा०]

टिप्पणी:— मूल विनियम 28-3-2003 की अधिसूचना संख्या 37 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2005

No. F. 9-8/2005/NCTE (Estt.).—In exercise of the powers conferred by Section 10 read with Section 32(2) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to amend further the National Council for Teacher Education (Contributory Provident Fund) Regulations, 2003, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called the NCTE (Contributory Provident Fund) (Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Extent of Amendment.**—Para 2 of Annexure II to the NCTE (Contributory Provident Fund) Regulations, 2003 shall be substituted by the following :—

"An advance for grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of Regulation 13 may be sanctioned by the Member- Secretary, NCTE in respect of employees at NCTE Headquarters, the Regional Director and Officers of the level of Under Secretary/Research Officer in the offices of the Regional Committees and by the Regional Directors concerned in respect of other officers/officials in the offices in the Regional Committees."

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT. III/IV/131/2004/Exty.]

Foot Note:— The main Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28-03-2003 as No. 37.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2005

सं. फा. 47-5/2003/राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 20(3)(क) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से धारा 20(3)(क) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है :

उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर

प्रोफेसर ए. के. शर्मा,
ए-16, सेक्टर 33,
नोएडा 201307, उत्तर प्रदेश

दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर

प्रोफेसर (श्रीमती) एम.एस. गोमती अम्मल,
150, चैत्रा, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम,
केरल

पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर

सुश्री शुभ्रा चैटर्जी,
विक्रमशिला एजूकेशन रिसोर्स सोसायटी,
77, महाराजा टैगोर रोड,
ठकुरिया, कोलकाता-700031

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल

डॉ. (सुश्री) हेमलता एन परसनीस,
प्रोफेसर तथा संकायाध्यक्ष,
शिक्षा संकाय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय,
मुंबई

2. देय भत्ते

सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की अदायगी परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा सदस्यों को जितने दिन वे क्षेत्रीय समिति की बैठक में वस्तुतः भाग लेंगे उतने दिनों के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2004/असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2005

No. F. 47-5/2003/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under Section 20(3)(a) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the following persons are nominated under Section 20(3)(a) as members of the Regional Committees of the National Council for Teacher Education with immediate effect :

Northern Regional Committee, Jaipur

Prof. A.K. Sharma,
A-18, Sector-33,
NOIDA-201307,
Uttar Pradesh

Southern Regional Committee, Bangalore

Prof. (Smt.) M.S. Gomti Ammal,
150, Chaitra, Gandhi Nagar,
Thiruvananthapuram,
Kerala

Eastern Regional Committee, Bhubaneswar

Ms. Shubhra Chatterjee,
Vikramshila Education Resource Society,
77, Maharaja Tagore Road,
Thakuria,
Kolkata-700031

Western Regional Committee, Bhopal

Dr. (Ms.) Hemlata N. Parasnis,
Professor and Dean,
Faculty of Education,
SNDT Women's University, Mumbai.

2. Allowances payable :

Travelling allowance and daily allowance shall be paid to the members as per the norms fixed by the Council. In addition, the members shall be paid honorarium at the rates decided by the Council from time to time for the number of days the members actually attend the meetings of the Regional Committee.

V.C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT. III/IV/131/2004/Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

सं. फा. 49-5/2005 राअशिप (मानदंड और मानक).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के मौजूदा प्रावधानों में यथानिर्धारित विनियमों के अनुसार किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थान को राअशिप से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र सहित संबंधित राज्य/संघ-शासित क्षेत्र की सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देना होता है। तथापि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होती। केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रश्न काफी समय से परिषद् का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद अथवा राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा की जाती है तथा केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों का वित्तपोषण अधिकांशतः केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, परिषद् ने इन संस्थानों के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया है।

IndiaCode

अत: अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) निम्न विनियम बनाती है :—

(1) लघुशीर्ष और प्रारंभ

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) संशोधन की सीमा

दिनांक 6 जून, 2003 के विनियमों द्वारा यथासंशोधित दिनांक 13-11-2002 के राअशिप (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 में पैरा 6 के उप-पैरा (viii) के स्थान पर निम्न पैरा रखा जाएगा :—

"सरकारी संस्थानों और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपने परिसरों में अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्त लागू नहीं होगी।"

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2004/असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2005

No. F. 49-5/2005-NCTE (N & S).—As per provisions in the existing Regulations laid down by the National Council for Teacher Education (NCTE), an institution desirous of starting a teacher education programme is required to submit a "No Objection Certificate (NOC)" from the State/UT Govt. concerned along with the application form for seeking recognition from NCTE. However, the requirement of NOC is not applicable in the case of Govt. institutions. The question of requirement of NOC in the case of Central/State Universities and other Central/State autonomous Bodies in the field of education has been engaging the attention of the Council for quite some time. Considering the fact that the Central/State Universities are set up by Acts of Parliament or State Legislatures and the Central/State Autonomous Bodies are substantially funded by the Central/State Govts., it has been decided by the Council to dispense with the requirement of NOC in the case of these institutions also.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under clauses (f) and (g) of Sub-section (2) Section 32 of NCTE Act, 1993, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following regulations:

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the "NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (4th Amendment) Regulations, 2005."

(ii) They shall come in to force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Extent of Amendment

In the NCTE (form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13-11-2002 as amended by Regulations dated June 6, 2003, sub-para (viii) of para 6 shall be substituted as under :—

"The requirement of NOC shall not apply to Government institutions and also to Central Universities/State Universities recognized by the University Grants Commission and Central/State Autonomous Bodies in the field of education fully funded by the Central/State Governments, for conducting teacher training programmes in their campuses."

V.C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT. III/IV/131/2004/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.